

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 395/2015

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 395/2015

संस्थापित दिनांक 24/06/2015

फाईलिंग नम्बर-230303022852015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र रामचरन शर्मा उम्र-52 साल
व्यवसाय खेती निवासी ग्राम भगवासा पुलिस
थाना, गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा-325 भा0द0स0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री प्रवीण सिकरवार ।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री पी0के0वर्मा ।)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 25/01/2017 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 25/3/15 को दिन के करीबन 3:00 बजे ग्राम भगवासा में फरियादी मुन्नालाल की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थि भंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करने हेतु भा0दं0स0 की धारा 325 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25/3/15 को फरियादी मुन्नालाल अपने खेत की मेड में बकरियों चरा रहा था उसकी एक बकरी एवं दो बच्चे खेत में चले गये थे एवं खेत में खड़ा बथुआ खाने लगे थे तभी आरोपी रामगोपाल आया था और उसने फरियादी से कहा था कि उसके व उसके भाई के खेत में बकरियाँ क्यों चरा रहा है इसी बात पर आरोपी रामगोपाल ने एक लाठी उसके बाये हाथ में मारी थी जिससे उसके बाये हाथ में चोट आई थी मौके पर उसकी बहन गुडडीबाई आ गई थी जिसने उसे बचाया था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अदम चैक क्रमांक 64/15 लेखबद्ध की गई थी एवं फरियादी मुन्नालाल को चिकित्सकीय परीक्षण के लिये भेजा गया था फरियादी की चिकित्सकीय रिपोर्ट में फरियादी को आई चोट गंभीर प्रकृति की होने के कारण आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अप0क094/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी

को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. द0प्र0स0की धारा313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया हैकि वह निर्दोष है उसे प्रकरण मे झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :-

1. क्या आरोपी दिनांक 25/3/15 को फरियादी मुन्नालाल के शरीर पर उपहतियों थी? यदि हाँ तो उनकी प्रकृति ?

2. क्या उक्त उपहतियों फरियादी मुन्नालाल को आरोपी द्वारा स्वेच्छया कारित की गई थी?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी मुन्नालाल आ0सा01, साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 डॉ0आलोक शर्मा आ0सा03 ,एस0आई जे0एस0यादव आ0सा04 एवं ए0एस0आई कमलेश कुमार आ0सा05 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में साक्षी पुरुषोत्तम शर्मा ब0सा01 एवं रामअख्यार शर्मा ब0सा01 को परीक्षित कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ0आलोक शर्मा आ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैकि उसने दिनांक 25/3/15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक मोनू द्वारा लाये जाने पर आहत मुन्नालाल का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने मुन्नालाल के बायीं अग्रभुजा के बीच के भाग पर नीलगू निशान पाया था उसके मतानुसार उक्त चोट सख्त एवं बौथरी वस्तु से आना संभावित थी जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 06 घंटे के अंदर की थी। चोट की प्रकृति जानने के लिये उसने ए-क्सरे की सलाह दी थी उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी03 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने आहत मुन्नालाल का ए-क्सरे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने मुन्नालाल की अल्नाअस्थि के नीचे एक तिहाई भाग में अस्थिभंग होना पाया था उसकी ए-क्सरे रिपोर्ट प्र0पी04 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र03में उक्त साक्षी ने यह स्पष्ट किया हैकि आहत को आई चोट गिरने से आना संभव है।

8. फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 ने भी अपने कथन में झगडे के दौरान उसके बाये हाथ में अस्थिभंग होना बताया है। साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 ने भी फरियादी मुन्नालाल के बाये हाथ में चोट आना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन फरियादी के शरीर पर चोट होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। प्र0पी01 की अदम चैक एवं प्र0पी07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी मुन्नालाल के बाये हाथ में चोट आने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 का कथन प्र0पी01 की अदम चैक एवं प्र0पी07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। उक्त

बिन्दु पर फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 के कथन का समर्थन साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 एवं डॉ0आलोक शर्मा आ0सा03 द्वारा भी किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी मुन्नालाल के शरीर पर चोट होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहे हैं डॉ0आलोक शर्मा आ0सा03 चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी हैं उसकी फरियादी से कोई हितबद्धता एवं आरोपी से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं हैं। उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी मुन्नालाल की बायीं अग्रभुजा में अस्थिभंग होने के बिन्दु पर अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है। फलतः उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी मुन्नालाल के शरीर पर उपहतियों थी जिसकी प्रकृति गंभीर थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

9. अब मुख्य विचारणीयप्रश्न यह है कि क्या उक्त उपहति फरियादी मुन्नालाल को आरोपी द्वारा स्वेच्छया कारित की गई? उक्त संबंध में फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि झगडा उसके न्यायालीन कथन से पिछले फागुन के महीने में दिन के लगभग 3:00बजे हुआ था वह हार में था एवं सरकारी जमीन पर बकरियों चरा रहा था तो आरोपी रामगोपाल वहां आ गया था। आरोपी ने उसे लाटियों मारी थी और उसे माँ बहन की गालियाँ दी थी आरोपी रामगोपाल ने उसकी मारपीट इसलिये की थी क्योंकि आरोपी का कहना था कि उसकी बकरियाँ आरोपी के खेत में चली गई थी जबकि बकरियाँ आरोपी के खेत में नहीं गई थी इसके बाद वह थाना गोहद में रिपोर्ट करने गया था उसकी रिपोर्ट प्र0पी01 है जिस पर उसने निशानी अंगूठा लगायाथा नक्शा मौका प्र0पी02 है जिस पर उसने निशानी अंगूठा लगाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके पास केवल दो बकरियाँ है एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसकी बकरियाँ झगडे के पूर्व कई बार रामगोपाल के खेत में चरने घुस जाया करती थी। उसे घटना की दिन तारीख सन् याद नहीं है झगडा सरकारी जमीन पर हुआ था ऐसा नहीं हुआ कि झगडा रास्ते में हुआ हों। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह बकरियाँ चरा रहा था उस समय रामगोपाल घटना-स्थल पर नहीं था रामगोपाल ने उसके केवल एक ही लाठी मारी थी झगडे के समय गांव का कोई व्यक्ति नहीं आया था। पुलिस वालें घटना-स्थल पर नहीं गये थे उन्होंने थाने पर ही नक्शा मौका बना लिया था उसकी रिपोर्ट के दूसरे तीसरे दिन अस्पताल में उसकी डॉक्टरी हुई थी।

10. साक्षी गुडडी आ0सा02 ने भी फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपी द्वारा फरियादी मुन्नालाल की लाठी से मारपीट किये जाने बाबत प्रकटीकरण किया है।

11. ए0एस0आई कमलेश कुमार आ0सा05 ने प्र0पी07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं एस0आई जे0एस0यादव आ0सा04 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ताद्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. आरोपी की ओर से बचाव के दौरान साक्षी पुरुषोत्तम शर्मा ब0सा01 एवं रामअख्यार शर्मा ब0सा02 को परीक्षित कराया गया है। उक्त दोनो ही साक्षियों ने अपने कथनमें व्यक्त किया है कि घटना के 8-10 दिन पहले आरोपी रामगोपाल एवं फरियादी मुन्नालाल के मध्य विवाद हुआ था मुन्नालाल रामगोपाल के खेत में अपनी बकरियाँ चरा रहा था तो आरोपी ने मुन्नालाल को बकरी चराने से मना किया था और उसके धौस थप्पड़ दी थी। उक्त घटना के 8-10 दिन बाद फरियादी मुन्नालाल रामगोपाल के खेत में बकरी चरा रहा था उस समय रामगोपाल अपने खेत पर नहीं था रामगोपाल को आता देखकर मुन्नालाल रामगोपाल के खेत से बकरियाँ निकालने गया था तो वह खेत की मेड़ पर गिर गया था जिससे उसके हाथ में चोट आ गई थी।

14. सर्वप्रथम बचावपक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 एवं साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 एक ही परिवार के सदस्य है। अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 एवं साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 एक ही परिवार के सदस्य है एवं एक दूसरे से हितबद्ध है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से सम्पुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है यदि फरियादी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हों तो मात्र इस कारण फरियादी के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई है। हितबद्ध साक्षियों के संबंध में विधि मात्र यह अपेक्षा करती है कि हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानी से किया जाना चाहिये। अब देखना यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मुन्नालाल एवं साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 के कथन इतने विश्वसनीय है जिसके आधार पर आरोपी को दोषारोपित किया जा सकता है।

15. फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह हार में सरकारी जमीन पर बकरियाँ चरा रहा था तो आरोपी रामगोपाल उसे माँ बहन की गालियाँ दी थी और उसे लाठियों मारी थी जिससे उसके बाये हाथ में अस्थि भंग हो गया था आरोपी ने उसकी मारपीट इस कारण की थी क्योंकि आरोपी का कहना था कि उसकी बकरियाँ आरोपी के खेत में चली गई थी जबकि बकरी उसके खेत में नहीं गई थी। इस प्रकार फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 द्वारा यह बताया गया है कि वह अपनी बकरियों को सरकारी जमीन पर चरा रहा था एवं घटना के वक्त बकरियाँ आरोपी रामगोपाल के खेत में नहीं चर रही थी जबकि प्र0पी01 की अदम चैक में यह वर्णित है कि फरियादी की एक बकरी एवं दो बच्चे रामगोपाल के खेत में चले गये थे तथा बथुआ खाने लगे थे इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 के कथन प्र0पी01 की अदम चैक से किंचित विरोधाभाषी रहे हैं। फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह भी बताया गया है कि आरोपी ने उसे माँ बहन की गालियाँ दी थी परन्तु इस बात का उल्लेख भी प्र0पी01 की अदम चैक में नहीं है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 के कथन प्र0पी01 की अदम चैक से किंचित विरोधाभाषी रहे हैं परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह मानवीय स्वभाव है कि वह इस कारण से कि उसके कथनों पर विश्वास किया जाये घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है परन्तु मात्र इस कारण फरियादी के सम्पूर्ण कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है यह

न्यायालय का कर्तव्य है कि वह झूठ एवं सच के मिश्रण में से झूठ को पृथक करें। अतः फरियादी के उक्त कथनों से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

16. फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसे झगड़े का दिन तारीख व सन् याद नहीं है तथा यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस मौके पर नहीं आई थी एवं पुलिस ने थाने पर ही नक्शा मौका बना लिया था परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी मुन्नालाल अनुपढ ग्रामीण कृषक हैं ऐसी स्थिति में यह अत्यन्त स्वभाविक है कि उसे झगड़े का दिन तारीख एवं सन् ज्ञात नहीं हों अतः उक्त आधार पर भी अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि रामगोपाल ने उसके डंडा मारा था लाठी मारने वाली बात उसने गलत लिखा दी थी तो यहां यह उल्लेखनीय है कि लाठी एवं डंडा मूल रूप से एक ही तरफ के हथियार होते हैं ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य से भी अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि रिपोर्ट लिखने के दूसरे तीसरे दिन उसकी अस्पताल में डॉक्टरों की कराई गई थी जबकि प्र0पी01 की अदमचैक के अनुसार घटना दिनांक 25/3/15 की है एवं प्र0पी03 की चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार फरियादी मुन्नालाल का चिकित्सकीय परीक्षण भी घटना दिनांक 25/3/15 को ही हुआ था तथा प्र0पी04 के ए-क्सरे रिपोर्ट के अनुसार फरियादी मुन्नालाल का ए-क्सरे परीक्षण दिनांक 26/3/15 को किया जाना अंकित है। इस प्रकार प्र0पी03 की चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार फरियादी मुन्नालाल का चिकित्सकीय परीक्षण घटना दिनांक को ही हुआ था जबकि फरियादी मुन्नालाल ने चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट लिखाने के दूसरे तीसरे दिन होना बताया है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 के कथनों में किंचित विसंगति आई है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 25/3/15 की है एवं फरियादी मुन्नालाल का न्यायालय में कथन दिनांक 10/3/16 को हुआ है इसके अतिरिक्त फरियादी का ए-क्सरे परीक्षण घटना के दूसरे दिन दिनांक 26/3/15 को हुआ है ऐसी स्थिति में समय का लम्बा अंतराल होने के कारण फरियादी के कथनों में उक्त विसंगति आना स्वाभाविक है परन्तु उक्त विसंगति इतनी तात्त्विक नहीं है जिसके आधार पर संपूर्ण अभियोजन कहानी को ही अविश्वसनीय माना जायें।

17. साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसका भाई बकरियों को पानी पिला रहा था तो रामगोपाल ने उसके भाई मुन्ना को माँ-बहन की गालियाँ दी थी एवं मुन्नालाल के एक लाठी मारी थी जो उसकी बायीं बाह में लगी थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्र03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जब वह मुन्नालाल के पास पहुंची थी तब तक मुन्नालाल को चोट लग चुकी थी घटना-स्थल पर उसे रामगोपाल एवं रामगोपाल के दोनों लडके तथा जगदम्बाप्रसाद मौजूद मिले थे आरोपीगण के हाथ में लाठियाँ नहीं थी केवल बबूल के डंडे थे उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि चारों लोगों में से मुन्नालाल को किस ने मारा था वह नहीं देख पाई थी। इस प्रकार साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि गुडडीबाई घटना होने के बाद मौके पर पहुंची थी उक्त साक्षी घटना की प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी नहीं है उक्त साक्षी ने मारपीट होते हुये नहीं देखी थी परन्तु उक्त साक्षी ने आरोपी रामगोपाल को घटना स्थल पर हाथ में बबूल का डंडा लिये हुये देखा था।

18. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि फरियादी मुन्नालाल

को गिरने से हाथ में चोटें आई थी आरोपी द्वारा फरियादी की मारपीट नहीं की गई थी डॉ०आलोक शर्मा आ०सा०३ ने भी यह स्वीकार किया है कि मुन्नालाल को आई चोट हाथ के बल पथरीली सतह पर गिरने से आना संभव है एवं बचाव साक्षी पुरुषोत्तम शर्मा ब०सा०१ एवं रामअख्यारशर्मा ब०सा०२ ने भी अपने कथन में यह बताया है कि मुन्नालाल खेत की मेड पर गिर गया था जिससे उसके चोटें आ गई थी।

19. जहां तक बचाव साक्षी पुरुषोत्तम शर्मा ब०सा०१ एवं रामअख्यार शर्मा ब०सा०२ के कथन का प्रश्न है तो यद्यपि उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि मुन्नालाल को खेत की मेड पर गिरने से चोटें आई थी परन्तु उक्त दोनों ही साक्षियों द्वारा यह नहीं बताया गया है कि मुन्नालाल किस तारीख, माह एवं सन् में खेत की मेड पर गिरा था। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी मुन्नालाल को यह सुझाव दिया गया है कि जिस समय फरियादी खेत की मेड पर गिरा था उस समय शांतीप्रसाद व विद्यादास मौके पर मौजूद थे और उक्त दोनों लोगों ने फरियादी को गिरते हुये देखा था उक्त सुझाव को फरियादी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष द्वारा स्वयं फरियादी मुन्नालाल के प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि फरियादी को खेत की मेड पर गिरते हुये शांतीप्रसाद और विद्यादास ने देखा था बचाव पक्ष का ऐसा कहना नहीं है कि उस समय बचाव साक्षी पुरुषोत्तम शर्मा ब०सा०१ एवं रामअख्यार शर्मा ब०सा०२ भी मौके पर मौजूद थे उक्त साक्षीगण के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा फरियादी मुन्नालाल आ०सा०१ को प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई सुझाव नहीं दिया गया है एवं शांतीप्रसाद तथा विद्यादास को बचाव पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि पुरुषोत्तम शर्मा ब०सा०१ एवं रामअख्यार शर्मा ब०सा०२ मौके पर मौजूद थे अतः उक्त साक्षीगण के कथन विश्वास योग्य नहीं है एवं उक्त साक्षीगण के कथनों से आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

20. जहां तक डॉ०आलोक शर्मा के कथन का प्रश्न है तो यद्यपि डॉ०आलोक शर्मा आ०सा०३ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट गिरने से आना संभव है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि डॉ०आलोक शर्मा चिकित्सकीय विशेषज्ञ है उक्त साक्षी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है उक्त साक्षी द्वारा मात्र यह राय प्रकट की गई है कि आहत को आई चोट गिरने से भी आ सकती है। उक्त साक्षी का ऐसा कहना नहीं है कि आहत को आई चोट लाठी से नहीं आ सकती है। ऐसी स्थिति में डॉ०आलोक शर्मा आ०सा०३ के उक्त कथन से भी आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

21. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि फरियादी द्वारा आरोपी को रंजिशन अपराध में मिथ्या संलिप्त किया गया है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि फरियादी एवं आरोपी के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपी को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपी द्वारा फरियादी की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

22. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी मुन्नालाल आ०सा०१ ने अपने कथन में आरोपी रामगोपाल द्वारा उसकी लाठी से मारपीट करना बताया है उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्र्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन

तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 यद्यपि घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है उसने आरोपी को मारपीट करते हुये नहीं देखा है परन्तु उक्त साक्षी के कथनों से यह तो स्पष्ट है कि उक्त साक्षी ने आरोपी रामगोपाल को लाठी लिये हुये मौके पर देखा था। प्र0पी01 की अदम चैक से यह दर्शित है कि घटना दिनांक 25/3/15 को दिन के 3:00 बजे की है एवं फरियादी द्वारा घटना की सूचना थाने पर दिनांक 25/3/15 को 17:50 बजे दी गई है इस प्रकार फरियादी मुन्नालाल द्वारा घटना की सूचना थाने पर यथाशीघ्र दी गई है फरियादी मुन्नालाल के कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी01 की अदम चैक एवं प्र0पी07 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहे हैं। चिकित्सकीय रिपोर्ट में भी फरियादी के शरीर के उसी भाग में अस्थि भंग होना वर्णित है जिस भाग पर मारपीट के दौरान चोट आना फरियादी द्वारा बताया गया है। इस प्रकार फरियादी मुन्नालाल का कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी पुष्ट रहा है आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं एवं जहां फरियादी के कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट हो वहां उसके कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

23. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपी रामगोपाल ने फरियादी मुन्नालाल की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थि भंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित की थी।

24. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या फरियादी द्वारा आरोपी को स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी ? उक्त संबंध में प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि फरियादी एवं आरोपी के मध्य खेत में बकरियाँ चराने के उपर विवाद हुआ था एवं उक्त विवादके कारण आरोपी द्वारा फरियादी की लाठी से मारपीट की गई थी। आरोपी रामगोपाल वयस्क व्यक्ति है एवं मारपीट करते समय वह यह समझने में सक्षम था कि उसके द्वारा जिस आयुध से फरियादी मुन्नालाल की मारपीट की जा रही है उससे मुन्नालाल को उपहति कारित होनी संभावित है आरोपी का ऐसा कहना भी नहीं है कि उसके द्वारा प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुये फरियादी मुन्नालाल को उपहति कारित की गई थी ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यहीं दर्शित होता है कि आरोपी द्वारा फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी।

25. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 25/3/15 को दिन के करीबन 3:00 बजे ग्राम भगवासा में फरियादी मुन्नालाल की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थि भंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी रामगोपाल शर्मा को भा0दं0सं0 की धारा 325 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध करती हैं।

26. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

27. आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपी को परीक्षा का लाभ प्रदान किया जावे।

28. आरोपी अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है एवं आरोपी द्वारा नियमित रूपसे विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपी वयस्क व्यक्ति है तथा सुसंगत समय पर अपने कृत्य के परिणामों को समझने में पूर्णतः सक्षम था आरोपी द्वारा जिस तरह से फरियादी मुन्नालाल की लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपी को परीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। आरोपी को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलतः यह न्यायालय आरोपी रामगोपाल शर्मा को भा0दं0सं0 की धारा325 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/—रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती हैं।

29. आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदा किये जाने पर द0प्र0स0 की धारा 357 (3) के अंतर्गत फरियादी मुन्नालाल को 1000/—रुपये प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात दिये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

30. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

32. प्रकरण में जप्तशुदा बबूल का डंडा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात तोड़ तोड़ कर नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

31. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उसकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहा है।

33. तदनुसार सजा वारंट तैयार किया जावे।

स्थान — गोहद

दिनांक —25 -1-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)